राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 543/2025

शैलेन्द्र कुमार मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
4. उप आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (II), पंचायती राज विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झालावाड (राज.)।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाई माधोपुर (राज.)।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति पिडावा, झालावाड (राज.)।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति मलारना डूंगर, सवाई माधोपुर (राज.)।
9. रमेश चन्द मेघवाल, वर्तमान में सहायक अभियंता (एईएन), पंचायत समिति पिरावा, झालावाड (राज.) पदस्थापित।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2025

आदेश की दिनांक : 03.02.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर पंचायत समिति, पिडावा, जिला झालावाड में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 09.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति, मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक ने कार्यग्रहण नहीं किया है और न ही अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के किया गया है और उसका स्थानांतरण लगभग 298 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी के स्थानांतरण उसके परिवार एवं बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। चूंकि अपीलार्थी के बच्चे स्कूल में अध्ययनरत हैं और इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानांतरण नियम विरूद्ध किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 09.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक अभियंता के पद पर पंचायत समिति, पिडावा, जिला झालावाड में कार्यरत है। अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी दो सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order)

प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष